न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना
बइजलास – रिछपाल सिंह बुरड़क, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 44/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर जिला नागौर		1. श्री संतोष विश्नोई पुत्र राजाराम विश्नोई निवासी मु.पा. सांवतसर, तह.श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर फर्म–श्री विष्णु दुध भण्डार, बापू बाजार के सामने,डीडवाना

उपस्थिति अधिवक्ता :–
1.श्री इस्लामुदीन अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक : 25.01.2021

1–प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी दिनांक 3.03.2020. को मैसर्स फर्म **श्री विष्णु दुध भण्डार,बापू बाजार के सामने डीडवाना** पर पहुँचा जहाँ पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला,दुध बेचता मिला। उस व्यक्ति को मैनें अपना परिचय दिया, परिचय लिया तथा अपना परिचय पत्र दिखाया। तथा दूध विक्रेता नाम पता पूछने पर अपना नाम संतोष विश्नाई पूत्र राजाराम विश्नोई जाति विश्नोई निवासी मु0पो0 सांवतसर तहसील श्री डगंरगढ जिला बीकानेर का होना बताया तथा विकेता मालिक ने बताया कि मेरा दूध का सालना टर्न ऑवर लगभग 2 से 4 लाख रूपये होना बताया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विकेता मालिक एवं गवाहन की उपस्थिति में फर्म का निरीक्षण किया जों लगभग 50 लिटर दुध आम जन को विक्रय वास्ते एक डीप फ्रीज में भरा हुआ था, पूछने पर बताया कि उक्त दूध मिक्स दूध हैं तो मूझे इसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के सामने मालिक एवं विक्रेता को बता दिया था कि यह मिक्स दूध का नमूना एफसएएसस एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहा हूँ। नमूना वास्ते जॉच लिया जाकर सीरीयल कोड नं0 Q-1262 अंकित किया गया उक्त नमूने की जांच **Public Health Laboratory Ajmer,Rajasthan**

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

से करवाई गयी। जिनकी जॉच रिपोर्ट कमांकः **L.S.109/Act/2020/53** दिनांक 13.03.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ मिक्स दुध लुज का नमूना **Substandard** होना पाया गया । उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त **संतोष विश्नोई पुत्र राजाराम विश्नोई जाति विश्नोई निवासी मु0पों0 सांवतसर, तहसील श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर** ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) धारा 31(2) व दण्डनीय धारा 51 व 58 का उल्लघन किया है। , जो एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा 51 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माना से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2–खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक **24.8.2020** को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दिनांक 8.9.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब दिनांक **06.11.2020** को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि उसको को गलत व असत्य तथ्यों पर झुठा फसाया गया है वह निर्दोष है। तथा मिथ्या फर्द तैयार की गई तथा मिथ्या सेम्पलिंग की कार्यवाही कर मेरे को फसाया गया है। प्रार्थी लाइसेंसधारी है, जिसके जो कि चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी शुदा जिसके कमांक 30200821125615423 दिनांक 21.8.2020 है। अतः कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताया कि दूध का नमूने की कार्यवाही दिनांक 3.3.2020 को की गयी तथा अप्रार्थी से लाईसेंस मागां तब कोई लाईसेन्स नहीं होना बताया तथा बाद में भी जवाब के साथ में भी कोई लाईसेन्स प्रस्तुत नहीं किया हैं।

3– खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अप्रार्थी को सूना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोट सख्या **L.S.109/Act/2020/53** एवं दिनांक 13.03.2020 के अनुसार नमूने के तौर पर लिया गया मिक्स दूध सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। तथा अप्रार्थी ने जवाब में लाईसेन्स होना बताया लेकिन उसने न तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दौराने निरीक्षण में मांगने पर दिया न ही जवाब के साथ ही प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी ने अपने जवाब दिनांक 6.11.2020 के साथ लाईसन्स की ओन लाइन रसीद जिसके नं0 30200821125615423 दिनांक 21.08.2020 अंकित है साथ में पेश की है, जबकी प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 03.03.2020 को सेम्पल लेने की कार्यवाही की थी। अतः यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये सेम्पल के समय लाईसन्स नही था। इस प्रकार अप्रार्थी ने सबस्टेण्डर्ड मिक्स दुध को बिना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियम एवं विनियम 2011 की धारा कमशः 26 की उपधारा 2(ii) तथा धारा 31(2) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना इसी अधिनियम की धारा कमशः 51 व 58 में निर्धारित होने से है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री संतोष विश्नाई पुत्र राजाराम विश्नोई जाति विश्नाई मु0पो0 सांवतसर, तहसील श्री डूंगरगढ जिला बीकानेर पर रूपये 13,000/– अक्षरे रूपये तेहरे हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि मे शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

4–आदेश दिनांक 25.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

([illegible] सिंह बुरड़क)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर,
डीडवाना